मनरेगा : ग्रामीण विकास की कुंजी

मो. ताहिर अंसारी

Ikjk'k% भारत में पंचायत का स्वरूप प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। नब्बे के दशक के आरम्भ में इसने अपना कानूनी रूतबा भी हासिल कर लिया। ग्रामीण जनसमुदाय को राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता का संवैधानिक अधिकार मिल गया। यद्यपि ग्रास-रूट डेमोक्रेसी का सपना साकार तो हो गया लेकिन सच्चा लोकतंत्र तभी आ सकता था जब आर्थिक क्षेत्र में सुधार हो। इसी के निमित्त वर्ष 2005 में नरेगा की शुरूआत हुई और बाद में यही मनरेगा में तब्दील हो गई। प्रस्तुत शोध पत्र में दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारन्टी योजना (MGNREGA) का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए उत्तर प्रदेश के सुदूरपूर्व में अवस्थित कुशीनगर जनपद के मनरेगा से सम्बन्धित द्वितीय प्रदात्तों के आधार पर मनरेगा की वस्तु स्थिति को समझाने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास पदबन्ध में दो शब्दों ग्रामीण और विकास सम्मिलित है। गाँव किसी भी राष्ट्र का सबसे निचला सोपान है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू ने राज्य के विकास के क्रम में परिवार को प्राथमिक इकाई माना। परिवार से समुदाय एवं समाज बना और समाज से गाँव का निर्माण हुआ तथा गाँव से नगर एवं नगरों से राज्य का विकास हुआ।[1] इसे निम्नांकित रेखाचित्र से स्पष्ट किया जा सकता है–

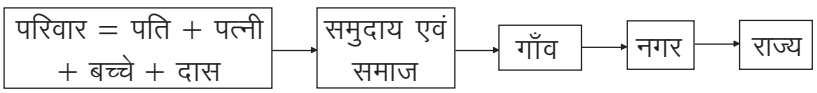

इसलिए गाँवों के उत्सव पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। बिना गाँवों के विकास के कोई भी राष्ट्र समोन्नति नहीं कर सकता है।

ग्रामीण विकास सम्प्रत्य का विश्लेषण करने पर यह बहुआयामी अवधारणा के रूप में उभर कर आती है, जिसका विश्लेषण संकुचित एवं व्यापक अर्थों में किया जा सकता है। संकुचित अर्थों में ग्रामीण विकास कृषि, पशुपालन, हस्तकला और लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास है। किन्तु व्यापक अर्थ में ग्रामीण विकास ग्रामीणों के सामाजिक,

आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में गुणात्मक प्रगति और संरचनात्मक परिवर्तनों को समाहित किया हुआ है। संक्षेप में ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर गाँवों में आर्थिक विकास की धारा प्रवाहित करना है, जिसके लिए इनकी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना हैं।[2]

ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई विकास परक और रोजगार परक योजनाएं चलायी गईं। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय सुनिशिचित करना है। इसमें मनरेगा भी महत्वपूर्ण योजना रही है।

ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारन्टी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। मनरेगा पूर्व में लागू रोजगार कार्यक्रमों का ही एक समेकित रूप है। 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (RLEGP) तथा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (NREP) को संशोधित कर बनाया गया जिसे पुनः संशोधित कर 28 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना बनाई गयी। तत्पश्चात् 2 अक्टूबर 1993 रोजगार आश्वासन योजना (EAS) तथा 1 अप्रैल 1999 से जवाहर ग्राम समृद्ध योजना (JGSY) चलाई गई और दोनों को संशोधित कर 25 दिसम्बर 2001 में सम्पूर्ण ग्प्रमीण रोजगार योजना चलाई गई। बाद में इसमें काम के बदले अनाज योजना (NFWP) और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को संशोधित कर राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार 'काम के अधिकार' को कानूनी रूप देकर मनरेगा की नींव पड़ी।[3]

ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम (नरेगा) 2005 पारित किया गया। आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को इस योजना की शुरूआत की गई। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी की 140वीं जयन्ती के अवसर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नरेगा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) का नाम दिया। इस योजना को 1 अप्रैल 2008 से सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया वर्तमान समय में भारत के 684 जिलों में 6863 विकासखण्डों के 262389 गाँवों में यह योजना संचालित है।[4]

मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार के किसी भी व्यस्क सदस्य (महिला/पुरुष) जो अकुशल श्रम करने को तैयार हो तो एक वित्त वर्ष में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई क्षेत्र सूखा प्रभावित है तो वहाँ 150 दिन एक वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जायेगा। मनरेगा के तहत वर्तमान में 202 रूपये प्रतिदिन मजदूरी दर से मजदूर के खाते में उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा कार्यक्रम के प्रमुख स्तम्भों में सामाजिक समावेश, लिंग समानता, सामाजिक सुरक्षा और समानता पर आधारित विकास शामिल है।[5] मनरेगा से जहाँ ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिला है, वही पैसा हाथ में आने से लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ी है, जिससे

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों की खपत में वृद्धि हुई है। मनरेगा ने रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन को रोक दिया है। इसने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके आत्म सम्मान में वृद्धि की है। मनरेगा के तहत गाँवों में ऐसी योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को घर के पास ही रोजगार मिलने के साथ-साथ गांवों का विकास भी हो रहा है। मनरेगा में गाँवों में साफ-सफाई के स्तर में वृद्धि हुई है। कोरोना काल में मनरेगा एक वरदान के रूप में उभरी जिसने सबसे ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में मूलभूत रोजगार गारण्टी सुनिश्चित करना है। मनरेगा के तहत सरकार ने कुल 262 कार्यों को मंजूरी दी हुई है जिसमें से 164 कृषि से सम्बन्धित हैं तथा बाकि अधिकतर कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन है, जिससे व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव देखने को मिलते हैं।[6] इस अधिनियम के अनुसूची-1 के अनुसार मनरेगा के तहत निम्नांकित कार्य किए जायेंगे[7] –

1. जल संरक्षण एवं जल संचय करना।
2. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण करना।
3. सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण करना।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभान्वितों या आवास योजनाओं के लाभान्वितों की भूमि तक सिंचाई की सुविधाएं पहुँचाना।
5. परम्परागत जल स्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों तालाबों, पोखरों से कचरा एवं सिल्ट निकालना।
6. बाढ़ नियंत्रण एवं जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी करना।
7. गाँवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गांवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हो सके। तथा गाँवों में सड़कों के साथ-साथ पुलिया, नाले-नालियों का निर्माण करना।
8. राज्य सरकार के साथ परामर्श के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य कार्य।

मनरेगा ने कोरोना संकट के दौरान रोजगार और परिसम्पत्तियों के सृजन में अहम भूमिका तय की है। वर्ष 2020-21 में प्रवासी श्रमिकों की समस्या के कारण अतिरिक्त धनराशि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिलीं। वर्ष 2020-21 में मनरेगा बजट अनुमान 61.500 करोड़ रूपये था लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रूपये के रिकॉड स्तर पर पहुँचाया। 13 फरवरी 2021 तक मनरेगा से 333.66 करोड़ लोगों के लिए श्रम दिवस रोजगार सृजन हुआ। सबसे अधिक 7.13 करोड़ परिवारों को काम मिला और सबसे अधिक जॉब कार्ड भी बने।[8]

कोरोना संकट के दौरान ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि गांवों में पलायन करके जा रहे भारी संख्या में मजदूरों के परिवारों का पालन-पोषण कैसे होगा! लेकिन कोरोना की दोनों लहर के दौरान मनरेगा ने न सिर्फ ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को गति दी बल्कि उनकी आजीविका का प्रमुख साधन भी बना। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई 2021 में जितना काम मनरेगा के तहत मांगा और दिया गया, वह पिछले 15 वर्षों का एक अलग रिकॉड है। इस काल में 300 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। कोरोना संकट के पहले चरण में जिला स्तर पर श्रमिकों एवं कामगारों की पात्रता सूची में मजदूरों को शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। साथ ही, पंचायतों ने भी स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए उसी हिसाब से योजनाएँ तैयार कीं।

जनपद कुशीनगर में मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद में मनरेगा से सम्बन्धित कार्यों के लिए पंजीकृत एवं वर्गवार जारी किए गए जॉब कार्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में पंजीकृत जॉब कार्ड की संख्या 382075 थी, जबकि जारी किए गए जॉब कार्ड (वर्गवार) संख्या 379428 लाख थी। वित्तीय वर्ष 2021-21 के अन्तर्गत पंजीकृत संख्या 450261 लाख है, जबकि जारी जॉब कार्ड की संख्या 419418 लाख है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 68186 हजार नए जॉब कार्ड पंजीकृत हुए तथा 39990 नए जॉब कार्ड जारी किए गए है। इसे तालिका संख्या 01 द्वारा वित्तीय वर्षों के दौरान वृद्धि स्तर को स्पष्ट किया गया है–

rkfydk l-&01

tuin d'khuxj e eujxk d vUrxr ithdr ,o tkjh tkc dkM l[;k

Ø-l-	foÙkh; o"k	iathdr l[;k	tkjh tkc dkM l[;k ¼oxokj½			
			vuq- tkfr	vuq-t-tkfr	vU;	dqy ;kx
1.	2	3	4	5	6	7
1.	2013—14	382075	122682	725	256021	79428
2.	2014—15	382375	129843	723	248022	378588
3.	2015—16	394484	129728	732	258105	388565
4.	2016—17	372852	119718	660	243515	363893
5.	2017—18	357037	111356	644	233295	345295
6.	2018—19	371136	112429	669	245658	358756
7.	2019—20	385899	114694	698	259637	375029
8.	2020—21	450261	118417	780	300221	419418

स्रोत– जिला ग्राम्य विकास विभाग, कुशीनगर https://jobcardlist.in

मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में पूरे वर्ष भर कार्य उपलब्ध कराया जाता है। जनपद में जिला ग्राम्य विकास विभाग द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य मांग का प्रतिरूप तैयार किया जाता है तथा इसे एक वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल माह से मार्च माह तक के कार्य मांग का प्रतिरूप अभिलिखित किया जाता है। जनपद कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कार्य की मांग का प्रतिरूप को तालिका सं0 02 द्वारा स्पष्ट किया गया है–

rkfydk l-&02

tuin d|'khuxj e eujxk d vUrxr dk;l ekx dk ifr:i

Ø- l-	foÙkh; o"k	vi|y	eb	tu	t|ykb	vxLr	flrcj	vDVcj	uocj	fnlcj	tuojh	Qjojh	ekp	;kx
1.	2013-14	8330	41662	45021	18078	14340	13218	17789	25694	29638	25732	28220	24904	292626
2.	2014-15	19238	46582	20259	20259	6649	5175	7361	19570	36489	28632	19349	16943	239531
3.	2015-16	2892	39071	52801	18329	9298	11240	6844	6167	4084	24890	38781	31144	245541
4.	2016-17	12304	65554	84507	14086	3161	3244	1085	467	3738	7992	5105	7369	208767
5.	2017-18	10414	51773	55549	9803	6092	3147	7166	24707	35930	38356	32814	32787	308538
6.	2018-19	30973	69751	68812	16567	6534	5926	11601	33881	47522	38962	23524	32546	383602
7.	2019-20	32671	44185	69756	20908	14339	14914	21387	55975	60004	42411	29982	25405	431937
8.	2020-21	23007	89943	140819	60570	48786	41292	89106	70672	68429	56429	48770	36559	774382

स्रोत : जिला ग्राम्य विकास विभाग, कुशीनगर, www.nrega.nic.in

जनपद कुशीनगर में मनरेगा के तहत ग्रामीण श्रमिकों (महिला/पुरुष) रोजगार उपलब्ध कराने से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2020-21 मनरेगा श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति को तालिका सं0–03 से स्पष्ट किया गया है –

rkfydk l-&03

tuin d|'khuxj jkstxkj miyC/krk

Ø-l-	foÙkh; o"k	jkstxkj miyC/krk ¼fnol e½
1.	2	3
1.	2013–14	374513
2.	2014–15	3448367
3.	2015–16	3550219
4.	2016–17	3330193
5.	2017–18	4149052
6.	2018–19	5376552
7.	2019–20	5594987
8.	2020–21	6912585

स्रोत : जिला ग्राम्य विकास विभाग, कुशीनगर

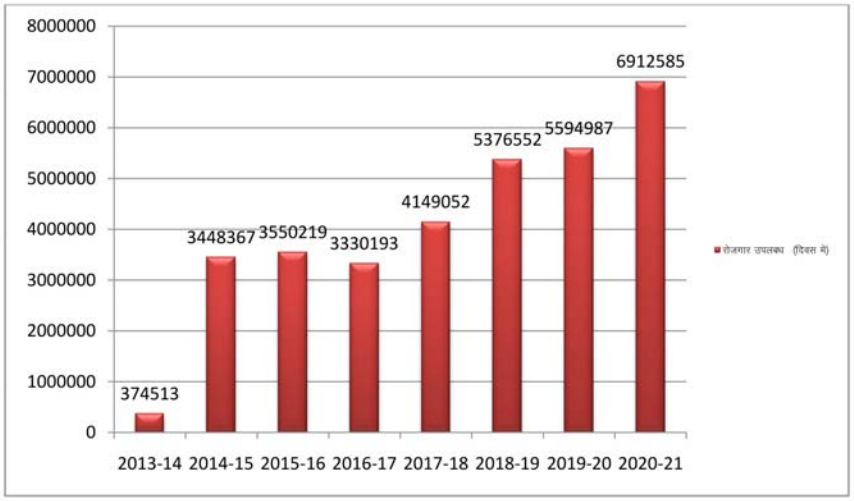

आरेख सं०–03

ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कई योजनाएँ जनपद कुशीनगर में चल रही है लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना हैं। मौजूदा कोरोना संकट काल में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो योजना वरदान बनी है वह मनरेगा ही है। यह योजना जनपद कुशीनगर में लागू होने के बाद से ही बेहतर कार्य कर रही है। तालिका संख्या-01 से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 में 379428 लाख लोगों को मनरेगा जाबकार्ड जारी किए गए थे। वर्ष 2020-21 में 419418 लाख जॉबकार्ड जारी किये गए जिसमें 118417 लाख अनुसूचित जाति के तथा 780 अनुसूचित जनजातियों को जाबकार्ड प्रदान किए गए हैं। तालिका संख्या-02 से स्पष्ट है कि जनपद कुशीनगर में मनरेगा के अन्तर्गत कार्य मांग का प्रतिरूप लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान मांग प्रतिरूप 7743382 हो गया है। तालिका संख्या-03 से स्पष्ट है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में जनपद कुशीनगर में 6912585 लाख व्यक्तिगत दिवस के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

मनरेगा योजना ने जनपद कुशीनगर के ग्रामीण गरीब जनता को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाया है। योजना के द्वारा साल के बारहों महिने रोजगार प्रदान किया जा रहा है जिससे गांवों में रह रहे लाखों मजदूरों को जीवन यापन की नई राह दिखाई है, और साथ ही साथ गांवों की कायाकल्प भी बदला है।

मनरेगा ने ग्रामीण सड़कों, तालाबों की साफ-सफाई के स्तर को उन्नत बनाया है जिससे गांवों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सष्जन भी हुआ है। अनुसूचित जातियों,

पिछड़े दलितों एवं महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा कर मनरेगा ने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को समृद्धि प्रदान की है। इसने ग्रामीण मजदूरों का रोजगार हेतु शहरों की तरफ पलायन को रोक दिया है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि मनरेगा जनपद कुशीनगर के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

संदर्भ सूची

1. मेहता, जीवन, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2001, पृ. 36
2. पन्त, डॉ. डी.सी., भारत में ग्रामीण विकास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2011, पृ. 12
3. कुरूक्षेत्र, वर्ष 52, अंक-12, अक्टूबर 2006, पृ. 75
4. शाही, डॉ. धर्मेन्द्र प्रताप, ग्रामीण विकास एवं मनरेगा, भारत बुक सेण्टर, लखनऊ, 2012, पृ. 352
5. भारत 2019 वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 457
6. कुरूक्षेत्र, वर्ष 67, अंक-9, जुलाई 2021, पृ. 31
7. https://www.nrega.nic.in
8. कुरूक्षेत्र, वर्ष 67, अंक-9, जुलाई 2021, पृ. 32